

प्रेस नोट
थाना मोठ

दिनांक 10.09.2024

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को थाना मोठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2024 अन्तर्गत धारा 64/333 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त महेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र अवध लाल उर्फ अवधी राजपूत नि0 ग्राम भरोसा थाना मोठ जनपद झाँसी को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.09.2024 को समय 11.50 AM पर बम्हरोली बाईपास पर कानपुर जाने वाले मार्ग, थाना मोठ जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2024 को वादी द्वारा थाना मोठ पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए गाँव के महेन्द्र सिंह उपरोक्त पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने का आप लगाया गया था। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन कर लगाया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.09.2024 को समय 11.50 बजे बम्हरोली बाईपास पर कानपुर जाने वाले मार्ग थाना मोठ जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

महेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र अवधी राजपूत नि0 ग्राम भरोसा थाना मोठ जनपद झाँसी, उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान-

बम्हरोली बाईपास पर कानपुर जाने वाले मार्ग थाना मोठ जनपद झाँसी
गिरफ्तारी का दिनांक व समय-दिनांक 10.09.2024 समय 11.50 AM

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 दिनेश कुरील थाना मोठ जनपद झाँसी
2. का0 624 जीतेश कुमार थाना मोठ जनपद झाँसी
3. का0 767 शशांक मिश्रा थाना मोठ जनपद झाँसी